criteria mentioned in Para (ii) above, will be placed in the grade of Rs. 12000-420-18300 subject to the recommendations of the Committee. They will be designated as Assistant DPEs in the Selection Grade.

(v) The College DPEs who have been placed in the Senior Scale will also be eligible for placement in the Selection Grade of Rs. 12000-420-18300 if they fulfill the criteria as prescribed for Assistant DPEs (Senior Scale) in Universities as contained in paras (ii) & (iii) or (iv) above. They will be designated as College DPEs in the selection grade.

(vi) The Deputy DPEs/Assistant DPEs (Selection grade)/College DPEs (Selection grade) with 5 years as on 1.1.1996 shall be eligible for placement at the minimum of Rs. 14940/- as done in the case of Readers.

3. Date of Implementation of the revised Career Advancement Scheme.

The Career Advancement Schemes as mentioned above will be effective, for the present, from 27.7.1998, i.e. the date from which the CAS for teachers is applicable under the existing orders, vide this Ministry's letter No. F.1-22/97.U.I. dated 27.7.1998.

4. Age of Superannuation

It has been decided that the age of superannuation for Assistant Librarians/College Librarians and Assistant Directors of Physical Education/College Directors of Physical Education would henceforth be 62 years.

The above scheme will come into force with immediate effect. These will be notified as regulations shortly. The Universities are requested to bring this to the notice of all the colleges affiliated to it for necessary action.

Yours faithfully,
Sd/- **Pankaj Mittal,**
Joint Secretary

18

संख्या : 1321/सत्तर-2-2009-3(3)/96 टी.सी.II

प्रेषक,

प्रभात सिन्हा, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

निदेशक उच्च शिक्षा, उ.प्र., इलाहाबाद, कुलपति वित्त अधिकारी/कुलसचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 *लखनऊ : दिनांक : 13 मई, 2009*

विषय : प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्ष को यू.जी.सी. द्वारा संस्तुत कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ तथा पदनाम परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या : 2452/15-11-95-14(10)/81, दिनांक 29 फरवरी, 1996 द्वारा प्रदेश के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों/उप पुस्तकालयाध्यक्षों/सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों एवं सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय तथा सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान दिनांक 01.01.1986 से प्रदान किया गया है। किन्तु मेरिट प्रमोशन योजना, जो वर्तमान समय में कैरियर एडवांसमेंट योजना के नाम से लागू है, का लाभ नहीं दिया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रिट याचिका संख्या-1303 (एस./बी.)/2005 *उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ* बनाम *राज्य सरकार व अन्य में मा. उच्च न्यायालय* द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.01.2007 तथा इसके विरुद्ध योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या : 14535/2007 *उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य* बनाम *उत्तर प्रदेश पुस्तकालय संघ व अन्य में मा. सर्वोच्च न्यायालय* द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2008 के अनुपालन में निम्नानुसार आनुषंगिक एवं अन्य लाभ प्रदान करने का आदेश श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा प्रदान करते हैं।

(1) शासनादेश संख्या : 2452/15-11-95-14(10)/81, दिनांक 29 फरवरी, 1996 के प्रस्तर-1 में उल्लिखित अंश "ये पद धारक शिक्षकों के लिए स्वीकृत मेरिट प्रमोशन योजना से आच्छादित नहीं होंगे " के स्थान पर "ये पद धारक यू.जी.सी. की अर्हता धारित करने पर कैरियर एडवांसमेंट योजना से आच्छादित होंगे" प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश दिनांक 29 फरवरी, 1996 की शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

(2) विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक शारीरिक शिक्षा की भाँति विश्वविद्यालय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष की अधिवर्षता आयु आदेश जारी होने की तिथि से 62 वर्ष होगी। राजकीय महाविद्यालय में शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष दोनों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष है अतः इसमें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(3) उक्त व्यवस्थाओं को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अपनी परिनियमावली में यथास्थान आवश्यक संशोधन कर लेंगे।

3. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि पुस्तकालय संवर्ग में विद्यमान त्रिस्तरीय सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष की व्यवस्था के बजाय भविष्य में कम्प्यूटर प्रशिक्षित जनशक्ति पर आधारित लाइब्रेरी प्रबंधन की व्यवस्था के परीक्षण की आवश्यकता है, तब तक इस संवर्ग के रिक्त पद फ्रीज रखे जायेंगे। इस हेतु अलग से कार्यवाही की जायेगी।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : यू.ओ.ई.-11-1207/दस-2009, दिनांक 13 मई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से, भवदीय,

डॉ. रामानन्द प्रसाद **प्रभात सिन्हा,**

(संयुक्त सचिव)। सचिव।